Bid Number: GEM/2022/B/2150090
Dated: 13-05-2022

Bid Document

Bid Details	
Bid End Date/Time	02-06-2022 12:00:00
Bid Opening Date/Time	02-06-2022 12:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)	80 (Days)
Ministry/State Name	Ministry Of Agriculture And Farmers Welfare
Department Name	Department Of Agricultural Research And Education (dare)
Organisation Name	Indian Council Of Agricultural Research (icar)
Office Name	Icar-central Sheep And Wool Research Institute
Item Category	Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Unskilled; Healthcare; Animal Attendant
Contract Period	1 Year(s)
Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)	10 Lakh (s)
Past Experience of Similar Services required	Yes
MSE Exemption for Years of Experience and Turnover	No
Startup Exemption for Years of Experience and Turnover	No
Document required from seller	Experience Criteria,Bidder Turnover,OEM Authorization Certificate,OEM Annual Turnover *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Bid to RA enabled	No
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	7 Days
Evaluation Method	Total value wise evaluation

EMD Detail

Advisory Bank	State Bank of India
EMD Percentage(%)	2.00
EMD Amount	49788

ePBG Detail

Advisory Bank	PUNJAB NATIONAL BANK
ePBG Percentage(%)	3.00
Duration of ePBG required (Months).	2

(a). EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b). EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

Beneficiary:
AAO
Icar-central Sheep And Wool Research Institute, Department of Agricultural Research and Education (DARE), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
(Shashank Jain)

Splitting

Bid splitting not applied.

MSE Purchase Preference

MSE Purchase Preference	Yes

1. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
2. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail the Purchase preference for services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered service. If L-1 is not an MSE and MSE Service Provider (s) has/have quoted price within L-1+ 15% of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, then 100% order quantity will be awarded to such MSE bidder subject to acceptance of L1 bid price.
3. Past Experience of Similar Services: The Bidder must have successfully executed / completed at least one single order of 80 % of the Estimated Bid Value or 2 orders each of 50 % of the Estimated Bid Value or 3 orders each of 40 % of the Estimated Bid Value for similar service(s) in last three years to any Central / State Govt Organization / PSU / Public Listed Company. Copies of contracts / work orders and documentary evidence of successful execution / completion in support of Past Experience of Similar Services along with names, address and contact details of clients shall be uploaded with the bid for verification by the Buyer.

Additional Qualification/Data Required

Scope of work & Job description:1652335984.pdf

Buyer to upload undertaking that Minimum Wages indicated by him during Bid Creation are as per applicable Minimum Wages Act:1652336313.pdf

Pre Bid Detail(s)

Pre-Bid Date and Time	Pre-Bid Venue
18-05-2022 11:00:00	ICAR-Central Sheep and wool research Institute, Beechwal Near chandra petrol pump Bikaner 334006

Manpower Outsourcing Services - Minimum Wage - Unskilled; Healthcare; Animal Attendant (13)

Technical Specifications

Specification	Values
Core	
Skill Category	Unskilled
Type of Function	Healthcare
List of Profiles	Animal Attendant
Educational Qualification	Not Required
Specialization	Not Required
Post Graduation	Not Required
Specialization for PG	Not Applicable
Experience	3 to 7 Years
State	NA
Zipcode	NA
District	NA
Addon(s)	
Additional Certifications/Trainings required for the resources being hired	No

Additional Specification Documents

Consignees/Reporting Officer and Quantity

S.No.	Consignee/Reporting Officer	Address	Number of Resources to be hired	Additional Requirement

S.No.	Consignee/Reporting Officer	Address	Number of Resources to be hired	Additional Requirement
1	Shashank Jain	334006,ICAR-Central Sheep and Wool Research Institute Arid Region Campus,Post Bichhwal Ind. Area,Bikaner 334006	13	• Minimum daily wage (INR) exclusive of GST : 385 • EDLI (INR per day) : 0 • Bonus (INR per day) : 0 • EPF Admin Charge (INR per day) : 0 • Optional Allowances 1 (INR per day) : 0 • Optional Allowances 2 (INR per day) : 0 • Optional Allowances 3 (INR per day) : 0 • Number of working days in a month : 30 • Provident Fund (INR per day) : 50.05 • ESI (INR per day) : 12.5125 • Tenure/ Duration of Employment (in months) : 12

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. **Buyer Added Bid Specific SLA**

   File Attachment Click here to view the file .

Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization. Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specification and / or terms and conditions governing the bid. Any clause incorporated by the Buyer such as demanding Tender Sample, incorporating any clause against the MSME policy and Preference to make in India Policy, mandating any Brand names or Foreign Certification, changing the default time period for Acceptance of material or payment timeline governed by OM of Department of Expenditure shall be null and void and would not be considered part of bid. Further any reference of conditions published on any external site or reference to external documents / clauses shall also be null and void. If any seller has any objection / grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be

allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditons stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---Thank You---

1. **अनुबन्ध की अवधि 01.07.2022 से 30.06.2023 तक रहेगी, लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय चाहे तो कार्य की अवधि कम या एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है।** यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
2. सेक्टरों के अन्तर्गत सभी जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार/अनबुन्धकर्ता की होगी साथ ही सेक्टर पर स्थित/रखी हुई संस्थान की स्थायी एवं अस्थायी सम्पति की सुरक्षा की भी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता की होगी। तीनों सेक्टरों पर कुल भेड़ों/मेढ़ों की **अनुमानित संख्या 1600 होगी**। जो कि संस्थान की आवश्यकतानुसार समय-समय पर कम या अधिक हो सकती हैं।
3. सेक्टरों पर ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता द्वारा एक सुनिश्चित योग्य स्थायी एवं अनुभवी मुखिया उपलब्ध कराना होगा ताकि उसे सेक्टर पर भेड़ो/मेढ़ों के कार्य में लगे श्रमिको की जिम्मेदारी दी जा सके एवं रोजाना के कार्य भी बताए जा सके।
4. सेक्टरों के आस-पास आवारा पशु नहीं होने चाहिए।
5. जानवरों की चराई का काम निम्नलिखित समयानुसार होगा:-

(1) 15 मार्च से 14 अप्रेल तथा 15 जुलाई से 14 अक्टूबर तक प्रातः 6-30 बजे से सायं 6-30 बजे तक।
(2) 15 अप्रेल से 14 जुलाई प्रातः 5-00 बजे से 12-00 बजे तक एवं सांय 4-00 बजे से सांय 7-00 बजे तक।
(3) 15 अक्टूबर से 14 मार्च तक सुबह 8-00 से सांय 6-00 बजे तक

6. जानवरों को सैक्टर पर केवल आंधी, तूफान, अत्यधिक सर्दी, अधिक वर्षा, खराब मौसम होने व सैक्टर से सम्बन्धित आवश्यक कार्यो के लिये प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि के आदेशानुसार लाना होगा।
7. जानवरों को सिर्फ संस्थान परिसर में निर्धारित चरागाह क्षेत्र में ही चराना होगा। जानवरों को संस्थान के चरागाह क्षेत्र के अलावा अन्य चरागाह में बिना सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की अनमुति के नहीं ले जाया जायेगा। जंगली जानवरों से बचाव के लिए व्यवस्था करनी होगी ।
8. किसी भी जानवर के बीमार होते ही उसकी सूचना तत्काल प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी। यदि अनबुन्धकर्ता के आदमियों की असावधानी से या बीमारी की सूचना समय पर न देने से जानवर की मृत्यु हो जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। उसका हर्जाना जो भी किताबी कीमत होगी भरना पडेगा। भेड़ो/ मेढ़ों की चराई सतोषजनक न होने पर एवं उनके वजन घटने पर अनुबन्धकर्ता के भुगतान के बिल मे से वजन के अनुपात में कटोती की जायेगी।
9. जानवरों को जंगल में होने वाली अचानक हिंसात्मक समस्या या घटना को रोकने के लिये अनबुन्धकर्ता को चराई एवं देखभाल आदि कार्य हेतु कुशल, अनुभवी, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट एवं मानसिक रूप से स्वस्थ श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो को लगाना होगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्वाले जानवरों को चराते समय सतर्क रहे।
10. चराई के बाद जानवरों को प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर रखना होगा एवं उनकी रखवाली/चोकीदारो की व्यवस्था भी करनी होगी। संस्थान की आवश्यकतानुसार किसी भी सेक्टर के जानवरों को दिन में चराई के बाद रात्रि के समय निर्धारित स्थान के अतिरिक्त दूसरें स्थान पर भी रखे जा सकते है तथा उनकी रखवाली व्यवस्था भी अनबुन्धकर्ता को ही करनी होगी।
11. सेक्टर पर स्थित भेड़ो/ मेढ़ो/ मेमनों की जंगली जानवरों से सुरक्षा करनी होगी तथा भेड़ो/ मेढ़ो/ मेमनों के खो जाने या चोरी हो जाने की जिम्मेदारी स्वयं अनबुन्धकर्ता की होगी। जंगली जानवरो द्वारा भेड़ो/ मेढ़ो का शिकार हो जाने पर, सूचना उपरान्त, विभागीय/स्वीकृत समिति की जांच के बाद उनकी अनुशंषा पर भेड़ों/मेढ़ों की किताबी कीमत (बुक वेल्यू) की कटौती, चरवाहे की लापरवाही/सतर्कता व बचाव प्रयास पर निर्भर होगी। खोने/चोरी हो जाने की स्थिति मे जानवरों की किताबी कीमत का दो गुना हर्जाना भरना पड़ेगा, तथा इस हर्जाने की राशि को 15 दिन की निश्चित अवधि मे जमा कराना होगा अन्यथा यह राशि को उनके देय बिल मे से काट ली जायेगी।
12. किसी भी भेड़ों/मेढ़ों/मेंमने की मृत्यु होने पर उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर को देनी होगी ताकि उसके पोस्टमार्टम/चीरफाड आदि की व्यवस्था समय पर की जा सके। चरागाह/सेक्टर पर मृत जानवर को गाडी में डालने की व्यवस्था भी स्वयं अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी। किसी कारणवश गाड़ी उपलब्ध नही होने पर मृत जानवर को पोस्टमार्टम के लिये स्वयं के साधन पर लाद कर पहुँचाना होगा।

(क) जानवरों का उपचार करते समय जानवरों को पकडने के लिए जरूरी सहायता भी अनबुन्धकर्ता को देनी होगी। भेड़ों में लगाये गये श्रमिक तथा चरवाहे कम से कम बदले जावेगे। हर रोज बदला हुआ श्रमिक स्वीकार्य नहीं होगा।
(ख) यदि प्रयोगात्मक कार्य किया जाता है उस समय अलग-2 प्रयोगात्मक कार्य के लिये अलग व्यक्तियों की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को करनी पडेगी जो कि सामान्य दैनिक कार्यो से अलग होगी।

13. सेक्टर पर स्थित भेड़ो/ मेढ़ों के साथ कोई अन्य निजी जानवर नही रख सकेगें ।
14. भेड़ों के ब्याते ही उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी एवं भेड़ एवं उसके बच्चे को सेक्टर पर लाना होगा।
15. भेड़ो/मेढ़ो को चरागाह क्षेत्र में चराने के साथ-2 समयानुसार पेडों की छगांई करके पत्तियां भी खिलानी होगी। पेड़ों की छगांई उचित रूप से करनी होगी तथा जब कभी जानवरों को दाना/चारा आदि देना हो तो यह कार्य भी अनुबन्धकर्ता को अपने श्रमिकों के द्वारा ही डलवाना होगा। दाना व चारा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
16. सेक्टर पर आपूर्तित चारे की सुरक्षा तथा व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखना सुनिश्चित करना होगा।
17. मादा रेवड को नर के रेवड़ से अलग चराना एवं रखना होगा। मेमनों/बच्चो के रवेड 3 माह से 12 माह तक के नर एवं मादा को भी अलग-2 चराना होगा। भेड़ों को चराने की व्यवस्था सक्षम अधिकारी/प्रभारी सेक्टर के दिशानिर्देशानुसार एवं निम्न प्रकार से करनी होगी:-

(क) **भेड़ो/मेढ़ों के रेवड निम्न प्रकार होगें:-**
(अ) ब्याई हुई भेड़ें (ब) ग्याबिन भेड़ें (स) बिना ब्याई भेड़ें (द) कमजोर व बीमार (आवश्यकतानुसार) (य) नर रेवड
(ख) किसी भी रेवड में 125 से अधिक जानवर होने पर दो आदमी/श्रमिक उपलब्ध करवाने होगे। ब्याई हुई भेड़ों के किसी भी रेवड में अधिकतम संख्या 100 तक ही रखनी होगी।

Head

(ग) किसी भी हालत मे नर रेवड को मादा रेवड में नही मिलाया जायेगा। यदि नाजायज मेमना/बच्चा पैदा होता है तो उसका जुर्माना रू0 1000.00 प्रति बच्चा के हिसाब से जुर्माना देय होगा। नाजायज जुड़वा बच्चे पैदा होने पर जुर्माना की राशि सिर्फ एक बच्चे के बराबर ही वसूल की जायेगी।

(घ) रेवड़ों की चराई के लिये लगाये गये आदमियों से सेक्टर के अन्य रोजमर्रा के कार्य नही लिए जायेंगे। दूसरे कार्यों के लिए अलग से आदमी लगाने होगें।

18. भेड़ों/मेढ़ों/मेमनों के बाड़ों/ट्रफों की नियमित रूप से सफाई करनी होगी, खाद व कचरे को बताये अनुसार निर्धारित स्थान पर डालना होगा तथा पानी की खेलियों/ट्रफों की भी नियमित रूप से सफाई करनी होगी।

19. निम्नलिखित कार्यों के लिये अतिरिक्त श्रमिको/मजदूरों की व्यवस्था भी अनबुन्धकर्ता को करनी हैः-

(क) बीमार जानवरों के ईलाज व देखभाल/टीका लगाना, ड्रेसिंग करवाना एवं सैक्टर पर बीमार जानवरों के लिये दाना व पानी का अलग से प्रबन्ध करना होगा। जो जानवर अत्यधिक बीमार एवं सक्रंमित रोग से ग्रसित हो उन्हे अलग से आईसोलेशन बाड़ा (टेक्नोंलोजी पार्क के सामने) में रख कर उनकी पूरी देखभाल करनी होगी।

(ख) भेड़ो/ मेढ़ो को साल में दो बार दवा के पानी से स्नान करवाना होगा। ऊन कल्पन से पहले साफ पानी से नहलाना तथा उक्त कार्य के लिये डिपिंग टैंक को उपयोग में लाने से पूर्व एवं उसके बाद भी साफ करना होगा। जानवरों को नहलाते समय लापरवाही वश यदि किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इसके लिए उपरोक्त (निर्धारित) हर्जाना वसूल किया जावेगा ।

(ग) आवश्यकतानुसार भेड़ो/मेढ़ों के मेमनों/बच्चों का वजन करवाना, ऊन कल्पन के दौरान जानवरों को शेड़ में पहुँचाना, जांच के लिये जानवरों के रक्त के नमूने लेने के दौरान तथा खुरों एवं उनके बाल काटना, साथ ही संक्रमण से बचाने के लिये नियमित सफाई एवं सक्षम अधिकारी/प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार जानवरों के शरीर से बाल काटना होगा।

(घ) भेड़ों के मदकाल की जांच के लिये सवुह व शाम को भेढ़ों को सक्षम अधिकारी/प्रभारी सक्टेर के निर्देशानुसार रेवड़ में छोड़ना होगा। मद में आई भेड़ों कों अलग करना तथा सही प्रजनन के बाद गर्भित भेड़ों को अलग करना होगा। नवजात मेमनों/बच्चों की देखभाल करना, टेग लगवाना, पूँछ कटवाना, खुर कटवाना तथा गोदने के कार्य में भी सहायता करना/करवाना होगा।

(ङ) दाने को ट्रोली में भरकर सैक्टर पर खाली करना, भेड़ो/मेढ़ों के लिये चारे के शेड से चारा बाड़े मे लाना आदि। ब्याई हुई भेड़ों के बाडे में चारा/घास की व्यवस्था करनी होगी। नया चारा डालने से पहले बताये अनुसार चारे के शेड की सफाई करनी होगी। अनाथ बच्चों व उन बच्चों को जिन्हें उनकी मां दूध नहीं पिलाती है उनकी विशेष देखभाल करनी होगी।

(च) वर्ष में कम से कम दो बार भेड़ों के सभी बाडों के अन्दर एवं बाहर कम से कम 6 इन्च मिटटी की खुदाई करके मिटटी को प्रभारी, सक्टेर द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर बाहर डालना होगा तथा कीटाणु रहित नई मिटटी डालनी होगी। बाड़ों में ट्रेक्टर द्वारा मिटटी डालते समय बाडों में लगी हुई चेंनलिकं फेन्सिगं को कोई नकुसान नही होना चाहिये यदि किसी तरह का नकुसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता के देय बिल मे से की जायेगी जिसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

20. अनुबन्ध की अवधी के दौरान सेक्टर पर स्थित पेड़-पौधों की देखरेख करनी होगी एवं उनकों पानी पिलाना होगा।

21. सैक्टर पर जानवरो को आंधी, तूफान, वर्षा व अधिक सर्दी से बचाव के लिये प्रभारी सैक्टर या उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार बन्दोबस्त करना होगा।

22. उक्त कार्य के लिये अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रतिनिधि का समय पर प्रबन्ध नही होने पर उस कार्य के लिये सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के वेतन/मजदूरी का भुगतान अनुबन्धकर्ता को करना होगा यदि संस्थान द्वारा नियमित कर्मचारी/मजदूर लगाया जाता है तो उस कर्मचारी/मजदूर के उस दिन का वेतन के बराबर राशि की कटोती भी अनबुन्धकर्ता के देय बिल में से की जायेगी।

23. अनुबन्धकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कमर्चारियो/ अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।

24. अनुबन्धकर्ता या उसके प्रतिनिधि/मजदूरों द्वारा संस्थान की सम्पति को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाना होगा यदि नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अनबुन्धकर्ता की होगी। अनुबन्ध की अवधि में किसी श्रमिक को लगाया या हटाया जाता है तो उसकी पूर्ण जानकारी या सूचना प्रभारी सैक्टर को देनी होगी।

25. सेक्टर से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी सेक्टर/उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा ।

26. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।

27. संबंधित वित्तीय वर्श में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।

28. अनबुन्ध की अवधि में सम्बन्धित सैक्टर के पत्र/डाक आदि कार्यालय मे पहुचाने के व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।

29. आकस्मिक अवस्था में आवश्यकतानुसार किसी भी अनुबन्धकर्ता को अन्य सेक्टरों का कार्य निर्धारित दरों पर दिया जा सकता हैं।

30. भेड़ों/मेढ़ों को चराने, सुरक्षा एवं उनकी देखभाल से सम्बन्धित कार्य के अनुबन्ध के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनबुन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।

31. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।

32. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।

33. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30-45 दिन में किया जावेगा।

Head

34. ठेकेदार को अनबुन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

35. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनबुन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

36. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

37. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।

38. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार बीकानेर होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार संस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार द्वारा मान्य होगा।

39. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

40. सस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनबुन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

41. सफल ठेकेदार को 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।

42. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

43. ठेकेदार द्वारा फर्म के लेटर हेड पर यह प्रमाणित किया जाना है कि– "मैने निविदा प्रपत्र में दशायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ ली है तथा मुझे स्वीकार्य है एवं सलंग्न निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई दरों पर संस्थान परिसर के मगरा, मारवाडी एवं चौकला सेक्टरों पर अनुसंधान कार्यो मे सहायता करने से सबंधित कार्य को अनुबंध/जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ। साथ ही यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मुझे किसी विभाग एवं मंत्रालय द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है"।

44 यह सूचना इस संस्थान की वेबसाइट(www.cswri.res.in) पर उपलब्ध है।